हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2024	मु०न० 148/21 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पो० की तामील जरिये रजिस्ट्री भेजी गई। जिसकी Track report पेश हुई। मुताबिक रिपोर्ट के रेस्पो० की तामील सम्यक रूप से हो चुकी है, रेस्पो० बावजूद तामील मनु०। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का कि रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि भूमि ख० न० 981 रकबा 0.08 है० गैं०मु० रास्ता मे रकबा 0.08 है० मे जौ की फसल काश्त करके अतिक्रमण किया जाना बताया है। परन्तु रिपोर्ट के पिछे-पटवारी हल्का द्वारा जो नजरी नक्शा बनाया है उसमें कही भी अतिक्रमण किये गये रकबे का अंकन नही है। अपीलान्ट का मुख्य कथन यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर नही दिया गया एवं ना ही दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया। अपील में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दस्तावेजात के अवलोकन से पाया गया कि पत्रावली में अंकित ख० न० के सम्बध में अलग से वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, रींगस में भी वाद विचाराधीन चल रहा है। एवं न्यायालय द्वारा प्रकरण में मंगवाई गई मौका कमीशनर रिपोर्ट की प्रति भी पेश की है। इसी के साथ अपीलान्ट का कथन यह भी है कि जहां अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण बताया है वहां अपीलान्ट निवास - करता आ रहा है। वहां कोई प्रचलित रास्ता नही है। जो प्रचलित रास्ता है वहां ग्रेवल सडक बनी हुई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते कि भूमि पर अतिक्रमण करना बताया है। इस प्रकार दोनो के कथन आपस में विरोधाभाषी है। इसलिए मौके की [illegible] चारो दिशाओ का नाप जोख करने पर ही प्रकरण का सही निस्तारण किया जाना सम्भव है।	

(... कुमार)
जिला कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.02 11:31:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अपीलान्ट द्वारा जो भी दस्तावेज पेश किये है उनका भी गहनता से अवलोकन नही किया गया है। जो आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए था ताकि प्रकरण का निस्तारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुसार हो सके। इस आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है तथा न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर द्वारा दिनांक 16-4-2021 को दिया गया अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश मूल अपील का निस्तारण होने से अपास्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मु० नं० 3 धारा उनवानी सरकार बनाम दुरजाराम मे पारित आदेश दिनांक 9-4-2021 अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जावे एवं मौके की सही नाप जोख की जावे तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया जाकर अपना निर्णय पुनः पारित करें। नि० फु०। निर्णय की पालना हेतु निर्णय कि एक प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार श्रीमाधोपुर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अतिरिक्त ... मजिस्ट्रेट ... नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.02 11:31:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner